संख्या-192/2015-1933/नौ-5-15-78बजट/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 25 अगस्त, 2015

विषयः : नगर निगम लखनऊ के अधीन रिबलांक ट्रंचलेस टेक्नोलाजी विधि से अकबरी गेट से घंटा घर तक क्षतिग्रसत सीवर ट्रंक लाइनों के जीर्णोद्वार सम्बन्धी कार्यों की रू0 17.11 करोड़ की लागत निर्धारित करते हुये उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 5.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगत लखनऊ के पत्र संख्या-2297/एलजेएस-80/जीएम/ ना0प0, दिनांक 17.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नगर निगम लखनऊ के अधीन रिबलांक ट्रंचलेस टेक्नोलाजी विधि से अकबरी गेट से घंटा घर तक क्षतिग्रसत सीवर ट्रंक लाइनों के जीर्णोद्वार सम्बन्धी कार्यों की रू0 17.11 करोड़ की लागत निर्धारित करते हुये उक्त के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में रू0 5.00 करोड़ की धनराशि को संलग्न बी0एम0 प्रपत्र-9 के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियामों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धरित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि

go finance mangal font

निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-जल-मल तथा सफाई-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय -0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान से आहरित कर लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-जल-मल तथा सफाई -191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशाकीय पत्र संख्या-ई-8-2341/दस-2015, दिनांक 24 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-192/2015-1933(1)/नौ-5-15-78बजट/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशरः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
9- महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण, इकाई जल निगम, लखनऊ ।
10- -वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

shashi.nigam@up.nic.in/intra

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा वित्तीय वर्ष 2015-16

(धनराशि हजार रू. में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"2215- जल पूर्ति तथा सफाई 01-जलापूर्ति-193-नगर पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता- 04 उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	200000	50000	50000	50000	150000
योग	200000	50000	50000	50000	150000

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02- मल जल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	150000	200000	50000	50000	200000
योग	150000	200000	50000	50000	200000

-2/

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-:

(1) नगर पंचायत हेड में सीवरेज कार्यो के परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है -:

नगर निगमो के माइनर हेड में पेयजल कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3)प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या-035ई-8-1733/द्वस-2015, दिनांक 03.07.2015

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी,
नगर विकास विभाग।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ /इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, कलेक्टेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य अभियंता,(इलाहाबाद क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
7. महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
8. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम इलाहाबाद ।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद।
10. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी,
नगर विकास विभाग।

BM form

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-25/08/2015

प्रेषण संख्या:- 192

आवंटन आदेश संख्या:- 001-192-2015-1933-9-5-15-78B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	50000000	50000000
		प्रगामी	441084000	441084000
	योग	वर्तमान	50000000	50000000
		प्रगामी	441084000	441084000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौवालीस करोड़ दस लाख चौरासी हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी